फर्द अहकाम

किशोर बनाम राज सरकार

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 5720

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/2/21	वकील आवेदक उपस्थित। वकील आवेदक की बहस सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदन के वर्णित बिन्दुओं को वर्तमान स्थान के स्थान पर रामकिशोर पुत्र किसे गोत्र हेतु निवेदन किया। इन्होंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार शाहपुरा (राजकीय प्रतिवादी) ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा [illegible] 1422 वाले ग्राम [illegible] राजस्व रिकार्ड में किशोरीलाल पुत्र किशना तिवाड़ा जाति ब्राह्मण दर्ज है तथा इस मौजा किस्म सं. 2042 में भी किशोरीलाल पुत्र किशना ही दर्ज है। इस प्रकार आवेदक का यह कथन कि आवेदक के नाम गलत होने से आवेदक को नुकसान हो रहा है जबकि आवेदक सं. 2042 में चला आ रहा नाम ही वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बेकार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17/2/21 को सुनाया जाकर इजलास उठाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर